न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 248/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/312
दायर दिनांक :– 02.09.2022 निर्णय दिनांक :– 18.10.2024

1. किसनाराम पुत्र बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
2. मोहनी पुत्री बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
3. पतासी पुत्री बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
4. कमला पुत्री बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
5. परमी पुत्री बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. बलवन्ताराम पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
2. सुखराम पुत्र बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
3. पालू पुत्री बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी
4. भागा पुत्री बलवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी मोडकिया तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्व मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 20/2 रकबा 2.0234 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 87/2 रकबा 6.3374 हैक्टेयर सरहद मौजा मोडकिया पटवार क्षेत्र टेपू जोधाणी तहसील बाप में स्थित है। बलवन्ताराम के हिस्से की भूमि में बलवन्ताराम के सभी वारिसान प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का हक व हिस्सा बनमा है इसी अनुसार ही मौके पर काबिज है। उक्त भूमि वक्त भू–प्रबन्ध से पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता प्रहलादराम का कब्जा व काश्त था। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता प्रहलादराम का [illegible] से पूर्व [illegible] भूमि वक्त भू–प्रबन्ध अप्रार्थी संख्या 1 एवं इनके वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड [illegible] इसलिये उक्त भूमि पैतृक सम्पति है। प्रार्थीगण भी बलवन्ताराम के वारिसान होने से उक्त भू[illegible] प्रार्थीगण का हिस्सा निहित है और उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने पैतृक [illegible] काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 का कभी अकेले का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:02 IST
Reason: SelfAttested

18.10.24

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कब्जा व काश्त नहीं रहा इसलिये प्रार्थीगण ग्राम मोडकिया पटवार क्षेत्र टेपू तहसील बाप के खसरा नम्बर 20/2 रकबा 2.0234 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 87/2 रकबा 6.3374 हैक्टेयर भूमि में अपने पैतृक 1/9–1/9 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने पैतृक हिस्से पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है जो राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित है जिस पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग रहवासी ढाणी, पानी का टांका व पशुओं का के लिए बाडके इत्यादि बना रखे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। इसलिये प्रार्थीगण उक्त पैतृक भूमि ग्राम मोडकिया पटवार क्षेत्र टेपू के खसरा नम्बर 20/2 रकबा 2.0234 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 87/2 रकबा 6.3374 हैक्टेयर भूमि अपने पैतृक 1/9–1/9 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। अभी दिनांक 20.07.2022 को प्रार्थीगण द्वारा अपने पैतृक हिस्से की भूमि सार सम्भाल की जा रही थी कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 आए और प्रार्थीगण को धमकी दी की उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में तुम्हारा नाम दर्ज नहीं है हमने पटवारी हल्का से मिलावट कर तुम्हारे हिस्से की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा ली है तुम उक्त भूमि को खाली कर दो नहीं तो हम जोर जबरदस्ती तुम्हे बेदखल कर देंगें। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रुपयों में नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण असमर्थ एव निर्धन है जबकि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 साधन सम्पन्न एव प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका सामना प्रार्थीगण नहीं कर सकते है इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में और अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम मोडकिया पटवार क्षेत्र टेपू जोधाणी तहसील के खसरा नम्बर 20/2 रकबा 2.0234 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 87/2 रकबा 6.3374 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के अपने पैतृक 1/9–1/9 हिस्से में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिरेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से [illegible] नहीं आये इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, नामान्तरकरण, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन

सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:02 IST
Reason: SelfAttested

किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम मोडकिया के खसरा नम्बर 20/2 रकबा 2.0234 हैक्टेयरव खसरा नम्बर 87/2 रकबा 6.3374 हैक्टेयर भूमि अप्राथीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट प्रतिवादी संख्या 1 के पिता प्रहलादराम का कब्जा काश्त था। भू–प्रबन्ध से पूर्व प्रहलादराम का देहान्त हो जाने से वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 इनके वारिसान के नाम दर्ज हुई थी परन्तु प्रार्थीगण भी बलवन्ताराम के वारिसान होने से उक्त भूमि में प्रार्थीगण का पैतृक 5/9 हिस्सा बनता जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जेरकार है। वर्तमान जमाबंदी में वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी की दर्ज है। चूंकि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान है। वादग्रस्त भूमि प्रत्येक सम्पति होने से प्रत्येक वारिसान का हक होता है जिसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी नहीं जाती है तो प्रार्थीगण अपने प्राथमिक अधिकारो यथा आराजी के उपयोग–उपभोग हक व हिस्से आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक [illegible] में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-आदेश-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम मोडकिया के खसरा नम्बर 20/2 रकबा 2.0234 हैक्टेयरव खसरा नम्बर 87/2 रकबा 6.3374 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण के पैतृक हक व हिस्सा में दखलअंदाजी न करे व मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर ... फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:18:02 IST
Reason: SelfAttested